



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272889
CG-DL-E-27052026-272889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]
No. 339]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948
NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2026

फा. सं. आरसीडी-02002/1/2025-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 44 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 में, विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में-

(1) उप-खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(i) निम्नलिखित में से किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री, -

1. खाद्य प्रौद्योगिकी;
2. खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी;
3. खाद्य इंजीनियरिंग;
4. खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग;
5. खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन;
6. खाद्य प्रसंस्करण;
7. खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक;
8. खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण;
9. खाद्य प्रसंस्करण तकनीक;
10. खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन;
11. प्रक्रिया और खाद्य इंजीनियरिंग;
12. खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन;
13. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन;
14. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन;
15. खाद्य और पोषण;
16. खाद्य पोषण और आहारिकी;
17. खाद्य जैव प्रौद्योगिकी;
18. जैव प्रौद्योगिकी;
19. तेल प्रौद्योगिकी;
20. खाद्य तेल प्रौद्योगिकी;
21. डेयरी प्रौद्योगिकी;
22. फल और सब्जी प्रौद्योगिकी;

23. कृषि विज्ञान;
24. कृषि;
25. कृषि इंजीनियरिंग;
26. पशु चिकित्सा विज्ञान;
27. मत्स्य विज्ञान;
28. बागवानी;
29. बागवानी विज्ञान;
30. रसायन विज्ञान;
31. जैव-रसायन विज्ञान;
32. सूक्ष्म जीव विज्ञान;
33. औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान;
34. विष विज्ञान;
35. जन स्वास्थ्य;
36. जीव विज्ञान;
37. चिकित्सा;
38. पशु विज्ञान;
39. समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता;

(2) उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22000) में प्रत्यायित लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना।”

(3) उप-खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) खाद्य क्षेत्र/उद्योग में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव; और आंतरिक/तृतीय पक्ष सहित न्यूनतम दस अंकेक्षण (ऑडिट) किए हों।”

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./107/2026-27]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.संख्या टीपीए/01/रेगु./एफएसएसएआई-2017, दिनांक 28 अगस्त, 2018 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2026

F. No. RCD-02002/1/2025-Regulatory-FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with section 44 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi - 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Amendment Regulations, 2026.
2. In the Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018, in regulation 3, in sub-regulation (1), in clause (c)-

(1) sub clause (i) shall be substituted with the following, namely:-

“(i) Bachelor’s or Master’s or Doctorate degree from a recognized University or institution in any of the following disciplines, -

1. Food Technology;
2. Food Science & Technology;
3. Food Engineering;
4. Food Process Engineering;
5. Food Process Engineering and Management;
6. Food Processing;
7. Food Engineering and Technology;
8. Food Processing and Preservation;
9. Food Processing Technology;
10. Food Technology and Management;
11. Process and Food Engineering;
12. Food Plant Operations Management;
13. Food Safety and Quality Management;
14. Food Safety & Quality Assurance;
15. Food & Nutrition;
16. Food Nutrition and Dietetic;
17. Food Biotechnology;
18. Biotechnology;

19. Oil Technology;
20. Edible Oil Technology;
21. Dairy Technology;
22. Fruit & Vegetable Technology;
23. Agricultural Science;
24. Agriculture;
25. Agriculture Engineering;
26. Veterinary Science;
27. Fisheries;
28. Horticulture;
29. Horticultural Science;
30. Chemistry;
31. Bio-Chemistry;
32. Microbiology;
33. Industrial Microbiology;
34. Toxicology;
35. Public Health;
36. Life Science;
37. Medicine;
38. Animal Science;
39. Equivalent/recognized qualification of Food Safety Officer notified by the Food Authority, from time to time;

(2) sub clause (ii) shall be substituted with the following, namely:-

“(ii) Successful completion of Accredited Lead Auditor course in Food Safety Management System (ISO 22000).”

(3) sub clause (v) shall be substituted with the following, namely:-

“(v) work experience of minimum two years in food sector/industry; and a minimum of ten audits carried out, including Internal/Third Party”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./107/2026-27]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. TPA/01/REG/FSSAI-2017, dated 28th August, 2018.